

12.03.22

पत्रावली आज प्रथम राष्ट्रीय लोक अदालत में पेश हुई। वादी संख्या 1 के वारिसान एवं वादी संख्या 2 ने लोक अदालत की भावना से प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा आदेश 23 नियम 1 सीपीसी वास्ते दावा वापिसी का पेश कर निवेदन किया है कि उभयपक्ष के मध्य राजीनामा हो गया है तथा वह अपना दावा विद्रो करना चाहते हैं।


पक्षकारान द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र का अवलोकन किया गया, वादी अपना दावा आदेश 23 नियम 1 सीपीसी के तहत किसी भी स्तर पर अपना दावा वापिस ले सकता है।

अतः आदेश है कि दावा वादी लोक अदालत की भावना से राजीनामा के आधार पर वादी को दावा विद्रो की अनुमति दी जाती है। एवं दावा वादी विद्रो के आधार पर खारिज किया जाता है। पत्रावली फ़ैसलशुमार होकर दाखिल दफ़तर हो।

आदेश आज राष्ट्रीय लोक अदालत में सुनाया गया।


अध्यक्ष

राष्ट्रीय लोक अदालत
धौलपुर
बैंच संख्या-12


सदस्य
राष्ट्रीय लोक अदालत
धौलपुर
बैंच संख्या-12